भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †3934

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

†3934. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिलावार कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) इन गांवों के चयन हेतु प्रयुक्त मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत और अधिक गांवों को शामिल किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई 25 पहलों की सूची का ब्यौरा क्या है, और आंध्र प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के लिए इस प्रकार के कितने पहल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान के तहत कवर किए जाने वाले आंध्र प्रदेश में जिले-वार गांवों की संख्या **अनुलग्नक-I** में है।

(ख) और (ग): अभियान का लक्ष्य 500 या उससे अधिक की आबादी वाले विशिष्ट जनजातीय बहुल गाँव हैं, जहाँ कम से कम 50% जनजातीय हैं, और आकांक्षी ब्लॉकों में कम से कम 50 जनजातीय आबादी वाले गाँव हैं। राज्यों को मिशन के तहत अनुमोदित चयन मानदंडों के अनुसार चयनित 63,843 गाँवों की सूची प्रदान की गई है। यदि राज्य को पता लगता है कि 63,843 की सूची में कोई गाँव छूट गया है, जो अन्यथा मानदंडों को पूरा करता है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभियान के तहत गाँव को शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, अभियान के तहत, गाँवों के लिए समर्पित योजनाएँ भी हैं, जहाँ एफआरए पट्टा वितरित किया गया है।

(घ): आंध्र प्रदेश सहित किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में वास्तविक उपाय संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। अभियान के तहत विभिन्न उपायों और लक्ष्यों का मंत्रालय-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के संबंध में श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 19.12.2024 को उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3934 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	जिले का नाम	गांवों की संख्या
1	अल्लूरी सीतारामा राजू	521
2	अनकापल्ली	10
3	अनंतपुर	3
4	अन्नमय्या	17
5	चित्तूर	1
6	एलुरु	46
7	काकीनाडा	6
8	कुरनूल	7
9	नांदयाल	3
10	एनटीआर	17
11	पालनाडु	7
12	पार्वतीपुरम मन्यम	165
13	प्रकाशम	16
14	श्री सत्य साई	3
15	श्रीकाकुलम	34
16	तिरुपति	3
17	विजयनगरम	9
18	वाई.एस.आर.	10
कुल		**878**

अनुलग्नक-II

"प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के संबंध में श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 19.12.2024 को उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3934 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत मंत्रालय-वार विभिन्न उपायों और लक्ष्यों का विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय	उपाय/ (योजना)	लक्ष्य
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पक्के मकान - (पीएमएवाई - ग्रामीण)	20 लाख मकान
		संपर्क सड़क - (पीएमजीएसवाई)	25000 किमी सड़क
2	जल शक्ति मंत्रालय	जल आपूर्ति - जल जीवन मिशन (जेजेएम)	(i) प्रत्येक पात्र गांव (ii) 5,000 बस्तियाँ ≤ 20आवास
3	विद्युत मंत्रालय	गृह विद्युतीकरण- (पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना -आरडीएसएस)	प्रत्येक अविद्युतीकृत आवास और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शन - नई सौर ऊर्जा योजना।	(i) प्रत्येक अविद्युतीकृत आवास और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के माध्यम से कवर नहीं किये गये हैं।
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयाँ - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000 एमएमयू तक
		आयुष्मान कार्ड - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - एनएचए	अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को शामिल किया गया
6	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी कनेक्शन - (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)	25 लाख परिवार (मूल योजना के अंतर्गत स्वीकृत लक्ष्यों के अधीन)
7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना - पोषण 2.0	8000 (2000 नये आंगनवाड़ी केन्द्र) एवं 6000 सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन)
8	शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण-समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1000 छात्रावास
9	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ - राष्ट्रीय आयुष मिशन	700 पोषण वाटिकाएं
10	दूरसंचार विभाग	4जी/5जी नेटवर्क - सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (डीओटी)	5000 गांव
11	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	कौशल भारत मिशन (मौजूदा योजनाएं)/प्रस्ताव	जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र
			1000 वन धन विकास केन्द्र, जनजातीय समूह आदि
12	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सहयोग से जनजातियों के लिए डिजिटल पहलें	पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ मंत्रालय विशिष्ट पोर्टलों का विकास और एकीकरण

13	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	सतत कृषि को बढ़ावा देना - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं	एफआरए पट्टा धारक (~2 लाख)
14	मत्स्य विभाग	मछली पालन सहायता - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	10,000 सामुदायिक और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थी
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पशुपालन - राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8500 व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी
15	पंचायती राज मंत्रालय	एफआरए संबंधी क्षमता निर्माण - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	सभी ग्राम सभाएं और उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर एफआरए से निपटने वाले संबंधित अधिकारी
16	पर्यटन मंत्रालय	जनजातीय गृह प्रवास - स्वदेश दर्शन	1000 जनजातीय गृहों के लिए 5 लाख रुपये प्रति इकाई (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये प्रति इकाई (नवीनीकरण) तथा ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता।
17	जनजातीय कार्य मंत्रालय	पीएमएएजीवाई	अन्य उपायों को शामिल करके जनजातीय विकास / पीएमएएजीवाई के लिए एससीए का दायरा बढ़ाना*
*100 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों की अवसंरचना में सुधार, सिकल सेल रोग (एससीडी) के लिए सक्षमता केंद्र और परामर्श सहायता, एफआरए और सीएफआर प्रबंधन उपायों के लिए सहायता, एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय जिलों के लिए प्रोत्साहन के साथ परियोजना प्रबंधन निधियां।			

*****